न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 64/2019

1. कन्हैया पुत्र धन्ना
2. श्रवण पुत्र धन्ना

जाति मीना निवासी ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा

... अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार दौसा जिला दौसा दिनांक 29.10.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कन्हैया वगै0 मु0नं0 191/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थित :- 1. श्री महावीर सिंह चितोसिया, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक: 03.11.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोठडा द्वारा तहसीलदार दौसा जिला दौसा के यहां इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई थी कि ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा मे स्थित भूमि खसरा नं0 634 रकबा 0.04 है0 किस्म चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्त कर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2018 के द्वारा अपीलांट्स को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पेनल्टी तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया गया। तहसीलदार दौसा के उक्त आदेश दिनांक 29.10.2018 के विरूद्व अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई एवं सबूत के अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने पूर्व में बेदखली की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की और न ही पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत किया था। पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं लिये और न ही पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिया गया और न ही कोई दस्तावेज प्रदर्श हुआ। पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट्स को दण्डित किया गया है। अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाने का निवेदन किया गया।

राजस्व अपील सं0 64/2019

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये। नोटिस की वाबजूद सूचना अपीलांट्स स्वयं अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। अपीलांट्स का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट्स अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट्स द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट्स को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामील होने पर अपीलांट्स स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में किस्म चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। बेदखली एवं फसल जब्ती व नीलामी की रिपोर्ट पत्रावली मे संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2018 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 नवम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा